न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/ 360/ 2006/ चूरू

लिछमणराम पुत्र स्व0 बैजूराम, जाति माली, निवासी वार्ड नंबर 5 चूरू, तहसील व जिला चूरू

अपीलार्थी

बनाम

1– भंवरलाल पुत्र तिलोकाराम
2– गुलाबचन्द पुत्र तिलोकाराम
3– कुन्दनमल पुत्र तिलोकाराम
4– तिलोकाराम पुत्र स्व0 बैजूराम
समस्त जाति माली, निवासी वार्ड नंबर 5 चूरू, तहसील व जिला चूरू
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री सी.आर.मीना, सदस्य
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थितः
श्री डूंगर सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
अधिवक्ता प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा बहस सुनी गई

निर्णय

दिनांक 11–01–2023

हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर केम्प, चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 67/2004 में पारित निर्णय दिनांक 22–10–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी/वादी लिछमणराम द्वारा तिलोकाराम व अन्य प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विभाजन प्रस्तुत किया।

उक्त मुकदमा संख्या पुरानी 96/93 नई 162/98 दर्ज हुआ। दौराने वाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया, जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16–09–1992 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी पेश की गई, जिसे मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 01–08–1996 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मण्डल के उक्त निर्णय के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रकरण संख्या 346/97 परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे अपीलार्थी के पूर्व दावा संख्या 96/93 नई 162/98 के साथ समेकित कर लिया गया। दौराने वाद अपीलार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 346/97 में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–08–2004 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार प्रत्यर्थीगण के वाद संख्या 346/97 को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–10–2005 द्वारा प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय करने के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी लिछमणराम द्वारा मण्डल के समक्ष यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील–मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–1975 के विरूद्ध आज दिन तक न तो अपील हुई और न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–1975 को दूसरे दावे के द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 96/93 में तमलीकनामा के आधार पर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय में पेश किया, जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने मण्डल में निगरानी पेश की, जो दिनांक 01–08–1996 को स्वीकार की जाकर आदेश प्रदान किये गया कि डिक्री दिनांक 18–08–1975 के जरिये तमलीकनामा दिनांक 30–06–1970 का असर समाप्त हो गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा परीक्षण न्यायालय में अपनी आयु कम बताते हुए दावा दायर किया गया था, जबकि ये सभी दावा दायरी से पूर्व से ही बालिग हो गए थे। नाबालिग पुत्रों को बालिग होने के तीन साल के भीतर अपना घोषणा दावा प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं किया गया। उनका दावा मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी पैतृक संपत्ति मानते हुए पोत्रों को जन्म

से अधिकारी मानने में कानूनी भूल की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 स्वच्छ हाथों से दावा लेकर नहीं आए हैं। अपीलार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी पेश करने के समय भी प्रत्यर्थीगण बालिग थे। अतः प्रस्तुत निगरानी अपील की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर केम्प, चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–10–2005 निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखंड अधिकारी, चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–08–2004 व डिक्री 04–10–2004 को बहाल रखा जावे।

4– हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5– इस प्रकरण में वादी लिछमणराम द्वारा एक वाद सं0 162/98 (पुराना नंबर 93/96) विरूद्ध तिलोकाराम वगैरह के विरूद्ध धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवदेन किया गया था कि बैजूराम के 4 पुत्र थे जिनमें से दो पुत्र जैसाराम व तेजाराम वर्षो पूर्व गहस्थ छोड़कर सन्यासी हो गये थे। लिछमणराम ने वर्ष 1970 में एक वाद सं0 63/70 उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष पेश किया जिसमें दिनांक 22–02–75 को तीनो फरीकेन लिछमणराम, तिलोकराम व उनके पिता बेजूराम ने एक राजीनामा पेश किया जिसके आधार पर तीनों क्रमशः 14 बीघा, 14 बीघा एवं 15 बीघा भूमि पर काश्त करने को राजी हो गये है तथा पूर्व में जो तिलोकाराम द्वारा बेजूराम से तमलीकनामा दिनांक 30–6–70 को रजिस्टर्ड कराकर बेजूराम की सम्पूर्ण भूमि अपने पुत्रों भंवरलाल, गुलाबचन्द व कुन्दनमल के नाम कराई थी, उसे रद्द समझा जावे। प्रतिवादी तिलोकराम द्वारा जवाबदावा पेश कर वाद कथनो से इन्कार किया गया। इसके पश्चात भंवरलाल, गुलाबचन्द एवं कुन्दनमल द्वारा दावे में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15–9–92 द्वारा स्वीकार कर उन्हें पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध लिछमणराम द्वारा निगरानी सं0 332/92 उनवानी लिछमणराम बनाम त्रिलोकराम वगैरह राजस्व मण्डल में पेश की गई जिस पर मण्डल की एकलपीठ ने अपने आदेश दिनांक 01–8–96 द्वारा अपने निष्कर्ष में निम्नानुसार अंकित किया है कि मूल खातेदार बेजराम द्वारा दावा सं0 63/70 में विपक्षीगण सभी बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये गये थे तो इन सबके राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री किया गया था। यह तथ्य निर्विवाद रूप से दोनों पक्षकार मानते हैं। यह भी दोनों पक्षकार मानते है कि बेजूराम ने अपने खाते की भूमि त्रिलोकराम के तीनों पुत्रों भंवरलाल, गुलाबचन्द, कुन्दनमल को रजिस्टर्ड तमीलीकनामे के द्वारा दिनांक 30–6–70 को हस्तांतरण की गई थी। इस तमीलीकनाम में इन अप्रार्थीगण के पक्ष में होते हुए भी और अप्रार्थी के दावे में पार्टी के होते हुए भी उन्होंने राजीनामा कराके यह डिक्री करवाई थी कि विवादग्रस्त

भूमि में 14 बीधा भूमि का हक लिछमणराम बतौर खातेदार है। डिक्री की कोई अपील या निगरानी नहीं हुई है और आज भी अपनी जगह स्थापित है। चूंकि तमलीकनामा के अन्तर्गत निर्णय व डिक्री दिनांक 18-8-75 से अप्रार्थीगण भंवरलाल वगैरह के हक व अधिकार रहना नहीं पाते हैं कि ऐसे में बेजूराम के मरने के पश्चात उसकी भूमि में तमलीकनामा के आधार पर अप्रार्थीगण प्रत्यर्थी भंवरलाल, गुलाबचन्द व कुन्दनमल का हक नहीं रहता है। उपरोक्त विवेचन देते हुए मण्डल की एकलपीठ ने अन्त में निगरानी स्वीकार कर ली तथा उपखण्ड अधिकारी, चूरू का आदेश दिनांक 15-9-92 को खारिज कर दिया।

6- इसके पश्चात् भंवरलाल, गुलाबचन्द व कुन्दनमल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष एक नवीन वाद सं0 346/97 पेश कर कथन किया कि पूर्व वाद सं0 63/70 लिछमणराम बनाम बेजूराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-8-75 जिस समय पारित की गई उस समय भंवरलाल वगैरह नाबालिग थे, उनका कोई संरक्षक नहीं बनाया गया इसलिए उक्त पारित निर्णय दिनांक 18-8-75 नलिटी होने से प्रभाव शून्य है। आगे उन्होंने बेजूराम द्वारा अपने जीवनकाल में तिलोकराम के तीनों पुत्रों भंवरलाल वगैरह के हक में किये गये तमलीकनामा दिनांक 30-6-70 के आधार पर खातेदार दिये जाने का निवेदन किया।

7- इसके पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने वाद सं0 346/97 को समान पक्षकारों के मध्य विवाद पाते हुए पूर्व 162/98 के साथ समेकित कर लिया तथा दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाती रही। इसके पश्चात् लिछमणराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया कि वाद सं0 346/97 इस आशय से पेश किया गया कि पूर्व वाद सं0 63/70 में पारित डिक्री दिनांक 18-8-75 abinitio null & void करार कर दी जावे किन्तु उपखण्ड अधिकारी की उक्त डिक्री के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18-7-75 को शून्य करार नहीं किया जा सकता।

8- उपखण्ड अधिकारी, चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 27-8-2004 द्वारा लिछमणराम के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को इस आधार पर स्वीकार किया कि पूर्व में पारित डिक्री दिनांक 18-8-75 राजीनामा के आधार पर जारी की गई है। एक ही बिन्दु के आधार पर दुबारा दावा नहीं लाया जा सकता। अपील का विकल्प तत्समय उपलब्ध था। अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 18-8-75 के विरूद्ध दुबारा वाद लाने का कोई औचित्य नहीं है और अन्त में उन्होंने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीस स्वीकार कर समेकित वाद सं0 346/97 को खारिज कर दिया एवं पूर्व वाद सं0 162/98 में वादी की साक्ष्य हेतु आगामी तिथि निशचित की गई।

9– हमारे विनम्र मत में राजीनामा बेजूराम ने इस आशय से किया था कि पूर्व में तमलीकनामा उसके द्वारा किया गया था उसमें उसने अपने सगे पुत्र लिछमणराम को कोई अधिकार नहीं दिये थे तथा राजीनामा कर उसने अपने पुत्र लिछमणराम को भी 14 बीघा भूमि दिये जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि लिछमणराम द्वारा प्रकरण में कहीं भी त्रिलोकराम के हिस्से से इन्कार नहीं किया गया है। राजस्व मण्डल ने भी निगरानी प्रकरण में यह माना है कि राजीनामा हो जाने के बाद पक्षकारान में जो तमलीकनामा जारी किया गया था, वह प्रभाव शून्य है।

10– उपखण्ड अधिकारी, चूरू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी इस आधार पर स्वीकार किया है कि उपखण्ड अधिकारी, चूरू द्वारा ही पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–8–75 राजीनामा के आधार पर जारी किया गया था जबकि तमलीकनामा दिनांक 30–6–70 को बेजूराम द्वारा ही अपने जीवनकाल में लिखा गया था। इस तमलीकनामा को बेजूराम द्वारा अपने राजीनामा दिनांक 22–02–75 से रद्द भी किया गया है। ऐसी स्थिति उसी परीक्षण न्यायालय ने अपना यह मत सही रूप से प्रकट किया है कि उसी बिन्दु के आधार पर दुबारा वाद लाया नहीं ला सकता तथा अपील का विकल्प भी तत्समय उनके पास उपलब्ध था।

11– प्रकरण का समग्र अवलोकन करने से हम यह पाते हैं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने में विधिक भूल की है तथा परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद सं0 346/97 को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य खारिज किये जाने योग्य है।

12– परिणामतः अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 22–10–2005 खारिज किया जाता है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू का निर्णय दिनांक 27–8–2004 तथा डिक्री दिनांक 04–10–2004 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य

(सी.आर. मीना)
सदस्य